संख्या-3629/9-1-10-180सा/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 19 नवम्बर, 2010

विषयः स्थानीय निकाय के समस्त कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु को 60 वर्ष किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि कतिपय निकायों द्वारा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्त किया जा रहा है ।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों के किसी भी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त न किया जाय । उक्त कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात ही उनकी सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जाय। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 ।
3- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,